

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी/वादीगण भंवरलाल पुत्र नकीया उर्फ नखाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा	बनाम 1 चेनाराम पुत्र नकीया उर्फ नखाराम जाति भील निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (5) 6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
--	--

मुकदमा नंबर:-77/2024

किस्म मुकदमा.....धारा 88,53,188 RT Act.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हूए
24.07.2024	वादी भंवरलाल की ओर से वकील श्री किशोरीलाल सोनी ने यह वाद पत्र प्रतिवादी चेनाराम वगैरा के विरुद्ध धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.08.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
07-08-24	वादी व वादी वकील के प्रापना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी मय वकील ने प्रापना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि के संर्वध में दोनों पक्षों के मध्य लोक अदालत की भाषना से राजीनामा ही गया है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए वाद जरिये विद्दे खारिज फरमावे। हमने वादी मय वकील की ओर से प्रस्तुत प्रापना पत्र का अवलोकन किया। पुनरुत तलबी के स्तर पर विचाराधिन है तथा वादी वाद की कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहता है। लिहाजा वादी का वाद नया वाद प्रस्तुत करने के एक को सुरक्षित रखते हुए जरिये विद्दे खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेसल शुमार होकर दायील दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

